



### कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 27.12.2024 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय गूल, जिला रामबन, जम्मू एवं कश्मीर (संसदीय क्षेत्र-उधमपुर) दिसम्बर, 2024 में स्वीकृत 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र, 2026-27 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2026-27 से निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा :
1	केन्द्रीय विद्यालय गूल, जिला रामबन, जम्मू एवं कश्मीर।	केन्द्रीय विद्यालय गूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय परथमुल्ला, गाँव- परथमुल्ला, तहसील गूल, जिला रामबन, जम्मू एवं कश्मीर। पिन कोड- 182144.

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि एवं अस्थाई भवन के अधिग्रहण से संबन्धित सभी औपचारिकताएं (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद 30 दिवस के भीतर सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोत)

अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं.।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि. सं.।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं.।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार।
5. पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं.।

6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92.
8. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा./शैक्षिक) के.वि.सं.।
9. निदेशक (के.वि.सं.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्त/प्रशिक्षण/ कार्मिक), के.वि.सं. (मु.) को सूचनार्थ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के.वि.सं.(मु.) को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.सं.(मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. उपायुक्त एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय गूल, जिला रामबन, जम्मू एवं कश्मीर को सूचनार्थ।
14. उपायुक्त, के.वि.सं. (क्षे.का.) जम्मू को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.सं., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
16. सहायक आयुक्त, (आई.टी.) को के.वि.सं. की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
18. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
19. अध्यक्ष/सचिव, के.वि.सं. की सभी मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
20. गार्ड फाइल।



## केंद्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
Email: [adtl.com.admn@kvs.gov.in](mailto:adtl.com.admn@kvs.gov.in)  
Tel: 011-26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

Comp No. 37723

F.11-Adm1072/11/2026-Admn.II/109-129

Dated 08.04.2026

### OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide Office-Order dated 27.12.2024, conveyed the approval of Government of India, for establishing 85 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya Gool, District Ramban, Jammu & Kashmir in Parliamentary Constituency-Udhampur** is one of the 85 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in December, 2024.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect from the session, 2026-27 at the following location:-

S. No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2026-27 at:
1.	Kendriya Vidyalaya Gool, District Ramban, Jammu & Kashmir.	Kendriya Vidyalaya Gool, Government Middle School Parthmullah, Village-Parthmullah, Tehsil-Gool, District Ramban, Jammu & Kashmir. Pin Code-182144.

The above Kendriya Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed within 30 days after completion of all pending formalities of taking-over of land and temporary accommodation, if any.

*Deepesh*

(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn.)

#### Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Hon'ble MoS (Education)-cum -Joint Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to the Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Govt. of Jammu & Kashmir.

5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS. Page.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.
8. PS to Additional Commissioner (Admn/Acad), KVS.
9. The Director (KVS), MoE, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), KVS.
11. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
12. The Superintending Engineer, KVS Hqrs- for information & necessary action.
13. The Deputy Commissioner & Chairman, VMC Kendriya Vidyalaya Gool, District Ramban, Jammu & Kashmir for information.
14. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Jammu with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Directors, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Assistant Commissioner (IT), KVS with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/Estt.II/Estt.III), for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
19. President/General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
20. Guard File.